



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष- 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), फैक्स-0771-2262818, 2262607

क्रमांक : 6695/अका./सम्बद्धता/2012

रायपुर, दिनांक : 13/ 03/2012

॥ आदेश ॥


कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.09.2011 के निर्णय के परिपालन में महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा एन.सी. टी.ई. विनियम 2009 की धारा 7(11) के तहत सांदीपनी एकेडमी, अछोटी, प्लॉट नं.-44, तह.-धमघा, मुरमुंदा, जिला-दुर्ग (छ.ग.) ने मान्यता आदेश विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया है। विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.03.2012 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 06.03.2012 के निर्णयानुसार महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्र के लिए अस्थाई सम्बद्धता सशर्त प्रदान की है -

क्र.	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	B.Ed.	100	2012-13

परिनियम 27 एवं निरीक्षण समिति की शर्त :-

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शिक्षक/कर्मचारियों को नियमानुसार पूर्ण वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से की जावे।
3. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाए।
4. आदेश निर्गमन की तिथि से तीन माह के भीतर इण्डोमेंट फण्ड हेतु रु. 35,00,000/- (पैंतीस लाख रूपए) कुलसचिव पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर एवं संस्था प्रमुख के संयुक्त नाम पर सावधि खाते में तत्काल जमा कर एफ.डी.आर. की छाया प्रति विश्वविद्यालय में जमा करेंगे।
5. तीन माह के अंदर विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियमित नियुक्ति करेंगे।
6. जाँच प्रतिवेदन के भाग 'ब' में दर्शित कमियों (प्रति संलग्न) की पूर्ति महाविद्यालय में पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के पूर्ण तक करेंगे।

आदेशानुसार,



उप कुलसचिव (अका.)

पु. क्रमांक : 6696/अका./सम्बद्धता/2012

रायपुर, दिनांक : 13/ 03/2012

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् पश्चिम क्षेत्रीय समिति, भोपाल (म.प्र.)
2. संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
4. अध्यक्ष, सांदीपनी एकेडमी, पं.दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर शिक्षा समिति को उनके आवेदन के संदर्भ में सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को।
6. संचालक, शारीरिक शिक्षा/ विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला/सम्बन्धित लिपिक (अका.)
7. स.कु.स. परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/उ.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक/विकास,
8. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रप्रेषित।


कक्ष अधिकारी (अका.)

104
13/3/12